उत्तराखण्ड शासन
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग
संख्या 649 /XVII-B-1/2022–04(03)/2021 टी.सी.
देहरादून : दिनांक : 30 मई, 2022

अधिसूचना

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–14 की उपधारा (9) के अधीन शासन की अधिसूचना संख्या–1543/XVII-3/16–07(37–वक्फ बोर्ड)/2015, दिनांक 25.10.2016 द्वारा गठित उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड का धारा–15 के प्रावधानानुसार 05 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24.10.2021 को समाप्त हो जाने के उपरान्त शासन की अधिसूचना संख्या–2012/XVII-B-1/2021–04(03)/2021, दिनांक 28.10.2021 के द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–99 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ के विधिवत गठन तक अथवा आगामी 06 माह के लिए, जो भी पहले हो, डा. अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को बोर्ड की समस्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रशासक नामित किया गया था।

2– चूंकि वर्तमान में शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के द्वारा नामित प्रशासक का 06 माह का कार्यकाल पूर्ण हो जाने तथा धारा–14 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के विधिवत गठन की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत वक्फ अधिनियम, 1995 (यथासंशोधित, 2013) की धारा–99 की उपधारा (1) तथा उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु, बोर्ड के विधिवत गठन तक अथवा आगामी 06 माह के लिए, जो भी पहले हो, डा. अहमद इकबाल, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन को बोर्ड की समस्त शक्तियों/कर्तव्यों के निर्वहन हेतु पुनः प्रशासक नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 649 (1)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर 100 प्रतियां यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 649 (2)/XVII-B-1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी गढ़वाल।
5. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद्, नई दिल्ली।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड, देहरादून।
9. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. संबंधित अधिकारी (द्वारा–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड)।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
1.30/5/22
(एल. फैनई)
प्रमुख सचिव।